यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर के माह 08/2012 से 08/2018 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री विजय कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षक, श्री अजय कुमार सचान, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा श्री महेन्द्र तिवारी वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में दिनांक 11.09.2018 से 14.09.2018 तक सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** यह इस इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है।
2. **(i)** इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः- कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर द्वारा सहायता प्राप्त माध्यमिक एवं बेसिक विद्यालयों के कर्मचारियों /शिक्षकों के वेतन एवं भत्तों के कार्य एवं भविष्य निधि का लेखा, पी. एल. ए. मे रखने के कार्य किए जाते है।

कार्यालय का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र उत्तराखण्ड राज्य का समस्त जनपद ऊधम सिंह नगर है।

(ii) (अ) विगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2012-13	-	-	3872.26	3872.08	10.00	10.00	-	0.18
2013-14	-	-	3488.90	3474.37	52.45	52.45	-	14.53
2014-15	-	-	3912.96	3888.00	60.40	60.40	-	24.96
2015-16	-	-	4129.08	4106.15	56.21	56.21	-	22.93
2016-17	-	-	4636.55	4520.36	33.55	33.55	-	116.19
2017-18	-	-	4529.10	4468.77	51.70	51.70	-	60.33
2018-19	-	-	2888.01	1865.26	0.00	0.00	-	1022.75

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	**योजना का नाम**	**प्रारम्भिक अवशेष**	**प्राप्त**	**व्यय**	**आधिक्य (+)**	**बचत(-)**
2012-13 से 2018-19	**शून्य**					

(iii) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखण्ड सरकार द्वारा दिया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई "स" श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. सचिव
2. अपर सचिव/महानिदेशक
3. निदेशक मध्यमिक शिक्षा
4. निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा
5. अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा कुमाऊँ मण्डल
6. अपर निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा कुमाऊँ मण्डल
7. मुख्य शिक्षा अधिकारी
8. जिला शिक्षा अधिकारी मध्यमिक शिक्षा
9. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा
10. खण्ड शिक्षा अधिकारी
11. उप शिक्षा अधिकारी

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2017, 10/2016 एवं 05/2013 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया|

लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो (ब)

प्रस्तर-1:- बिना रोक़ड़ बही के रखरखाव किये ₹ 26459.30 लाख की धनराशि का व्यय।

प्रत्येक आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा प्रपत्र GAR III मे रोक़ड़ बही का रखरखाव किया जाना आवश्यक है। जिसमे समस्त वित्तीय लेन-देनों को उनके होने के तत्काल बाद रोक़ड़ बही मे दर्ज किया जाना चाहिए।

कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी ऊधम सिंह नगर के लेखा अभिलेखों की नमूना जांच मे पाया गया कि इकाई के पास माह 08/2012 से 08/2018 तक की रोक़ड़ बही उपलब्ध नहीं है एवं व्यय वाउचर्स का भी रख रखाव नहीं किया जा रहा है। जबकि इस अवधि मे कार्यालय द्वारा ₹ 26459.30 लाख धनराशि व्यय की गई। जिसका सत्यापन नहीं किया जा सका।

लेखापरीक्षा मे इगित किये जाने पर मुख्य शिक्षा अधिकारी ने उत्तर मे कहा कि कार्यालय में अब तक रोक़ड़ बही का रख रखाव नहीं किया जा रहा है। माह 05/2017 से रोकड़ बही का अंकन किया जा रहा है। इकाई ने यह भी स्वीकार किया कि कार्यालय में व्यय वाउचर्स का रख रखाव नहीं किया जा रहा है।

इकाई का उत्तर स्वत: ही इस आपत्ति की पुष्टि करता है

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर:1- धनाभाव में ₹ 1000.75 लाख के विभागीय निर्माण कार्य अपूर्ण।

शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यदायी संस्था परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, पेयजल निगम, उधम सिंह नगर की मासिक प्रगति आख्या माह अगस्त 2018 के अनुसार कार्यदायी संस्था द्वारा आठ निर्माण कार्यों का कार्य किया जा रहा था, जिसमे से वर्ष 2014-15 के दो एवं 2015-16 के तीन कार्य जिनका विवरण निम्न प्रकार है:

कार्य का नाम	**स्वीकृत आदेश**	**लागत (लाख ₹)**	**अवमुक्त धनराशि (लाख₹)**	**अद्यतन व्यय (लाख₹)**	**भौतिक प्रगति (प्रतिशत)**
रा0 इंटर कालेज प्रताप पुर	603 दि 30-3-15	267.38	162.09	162.09	65
रा0 बा0 इ0 का0 सुल्तानपुर पट्टी	603 दि 30-3-15	265.82	161.17	161.09	65
रा0 इ0 का0 बन्नाखेड़ा	338 दि 11-3-16	193.02	111.14	111.13	65
रा0 इ0 का0 हरिपुरा हरसान	338 दि 11-3-16	223.40	128.66	128.64	80
रा0 बा0 इ0 का0 किच्छा में कक्षा कक्ष	1712दि 10-11-16	51.13	16.29	16.29	50
	योग	**1000.75**			

धनाभाव के कारण अद्यतन अपूर्ण पाये गए।

इस संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि धनराशि अवमुक्त हेतु प्रयास किए जाएँगे। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उक्त निर्माण कार्यों को प्रारम्भ हुए तीन वर्ष से ऊपर हो चुका था और लगभग सभी कार्यों की भौतिक प्रगति मात्र आधा कार्य ही पूर्ण दर्शा रही थी।

प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
प्रथम लेखापरीक्षा		

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
शून्य				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

……………………………………..Nil…………………………………………

<u>भाग-V</u>

<u>आभार</u>

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः** मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा पदस्थ रहने पर किए गए कार्यों एवं दायित्यों का विवरण
2. **सतत् अनियमितताएः** शून्य
3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम. स.	नाम	पदनाम	अवधि
1.	श्रीमती नीता तिवारी	मु॰शि॰अ॰	21-12-2013 से 30-09--2016 तक
2.	डॉ॰ पी. एन. सिंह	मु॰शि॰अ॰	30-09-2016 से 31-08-2018 तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधम सिंह नगर को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.